न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
125 / 2015	03.12.2015	23.12.2024

उनवान

प्रकाश चंद बनाम लक्ष्मी वगै0

उपस्थित श्री रमेश देशवार एडवो0 वादी की ओर से

उपस्थित श्री बृजेश शर्मा प्रतिवादीगण की ओर से

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए एक्ट

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23.12.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :–

वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ताओं द्वारा वादपत्र मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के अनुसार डिक्री किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रकट की गई। पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के अवलोकन उपरान्त वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.18 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 19.11.2024 के अनुसार अंकित खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.18 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.11.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक [illegible] 2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरा/कब्जे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena

Date: 2025.06.23 15:05:38 IST

Reason: SelfAttested

23/12/24

/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.12.24 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested